UPHM010035232022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (न्यायालय सं०-1), हमीरपुर
पीठासीन अधिकारी- (चन्द्रभान सिंह), (उच्चतर न्यायिक सेवा) -UP06180
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1666/2022

आशीष कुमार आयु 33 वर्ष पुत्र स्व० रामगोपाल धुरिया ग्राम विकास अधिकारी , ग्राम पंचायत खण्डेह विकास खण्ड मौदहा, जिला हमीरपुर (उ०प्र०) निवासी कुछेछा वार्ड न०-7 शहर हमीरपुर, थाना कोतवाली हमीरपुर, जिला हमीरपुर, उ०प्र०।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ 0 प्र 0 राज्य। **.....विरुद्ध पक्ष**

मु०अ०सं०-338/2022
धारा- 409, 419, 420, 467, 468, 471 भा0 द 0 सं0
थाना- मौदहा, **जिला**- हमीरपुर

02.11.2022

प्रार्थी/अभियुक्त आशीष कुमार की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०-338/2022, धारा- 409, 419, 420, 467, 468, 471 भा0 द 0 सं0, थाना मौदहा, जिला हमीरपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त की ओर से स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी श्री भैरोप्रसाद द्वारा इस आशय की तहरीर सम्बन्धित थाना मौदहा, हमीरपुर में दी गयी है कि वादी श्री देवेन्द्र पुत्र स्व० श्री छोटेलाल नि० ग्राम खण्डेह तहसील मौदहा , जिला हमीरपुर द्वारा अपर जिलाधिकारी, हमीरपुर को दि०-22.07.2022 को शिकायती प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत खण्डेह में फर्जी जाबकार्ड मृतक व फर्जी व्यक्तियों के नाम से जाबकार्ड बनवाकर मनरेगा योजना अन्तर्गत शासकीय धनराशि का गबन किया गया जिसकी जाँच हेतु मुख्य विकास अधिकारी, हमीरपुर के आदेश सं०-840 दिनांकित 25.07.2022 द्वारा जाँच हेतु समिति गठित की गयी। जाँच समिति ने अपनी आख्या दिनांकित 29.07.2022 मुख्य विकास अधिकारी, हमीरपुर के समक्ष यह प्रस्तुत की कि जाँच आख्या के अनुसार शिकायतकर्ता देवेन्द्र कुमार , राजाभइया व अशोक कुमार ने लिखित रूप से इस आशय का बयान दिया कि स्व० छोटेलाल , श्री जगदीश, श्रीमती भूरी व श्री हरनाम की मृत्यु काफी दिन पूर्व हो गयी है और कुछ लोगों के नाम जाबकार्ड में जाबकार्ड धारकों को मस्टरोल में उपस्थिति दिखाकर निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा मृतक व जीवित जाबकार्ड धारकों के खातों को विचलित करके दूसरे खाता धारकों के नाम से निम्नांकित खाताधारकों को निम्नांकित बैंकों द्वारा आहरित किया गया है। मनरेगा के शासकीय धन के गबन का विवरण शिकायतकर्ता /बयान कर्ता जाबकार्ड संख्या व श्रमिक का नाम आहरित राशि भुगतान करने वाले बैंक का नाम /खाता विचलित

आहरित खाताधारक जाबकार्ड सं०-9971.क. श्री पवन ख. श्री मुन्नालाल 2856.00 2856.00 5712.00 इंडियन बैंक मौदहा, हमीरपुर खाता नं0 59180828745, श्रीमती गीता पत्नी शिवदास निवासी ग्राम उरदना ब्लाक मौदहा हमीरपुर , श्री देवेन्द्र कुमार जाबकार्ड सं. 9942 क, श्री छोटेलाल पुत्र श्री रामगोपाल ख . श्री सुदामा 20400.00 इंडियन पोस्ट पेमेन्ट बैंक हमीरपुर खा0 सं0- 057610031780 श्रीमती मोहनी पत्नी श्री सिद्धगोपाल निवासी ग्राम छिमौली ब्लाक मौदहा 3.क. श्री जगदीश पुत्र श्री बद्री (मृत 03 वर्ष पूर्व) ख. श्रीमती सुशीला 16164.00 16164.00 32328.00 इंडियन पोस्ट पेमेन्ट बैक हमीरपुर खा०सं० 057610031783 हमीरपुर श्रीमती सोनम पत्नी राजू निवासी ग्राम छिमौली ब्लाक मौदहा श्री राजाभइया जाबकार्ड सं 5264 क. श्री राजाभइया पुत्र श्री हिरवा ख. भूरी पत्नी श्री राजाभइया (मृत 2015) 8568.00 इंडियन पोस्ट पेमेन्ट बैक हमीरपुर खा०सं० 0576100311801 श्री आयुश पुत्र श्री संदीप निवासी ग्राम छिमौली ब्लाक मौदहा देवसिंह जाबकार्ड सं 8005 क. श्री हरनाम पुत्र चुन्नका (मृत 12 वर्ष पूर्व) ख. श्री देवेन्द्र पुत्र हरनाम 9648.00 6030.00 15678.00 आर्यावर्त बैक, खण्डेह हमीरपुर खाता संख्या 615330100035185 जाबकार्ड सं 8006 श्री अतुल 20400.00 यूनियन बैंक आफ इण्डिया हमीरपुर खाता संख्या 636402010001386 श्रीमती रज्जो पत्नी बाबूराम निवासी हमीरपुर अशोक कुमार जाबकार्ड सं० - 5507 श्री मंगल सिंह 20400.00 भारतीय स्टेट बैक, इंचौली हमीरपुर खाता संख्या 35285274652 श्री मनोज पुत्र कल्लू योग - 123486/- रूपये ग्राम प्रधान खण्डेह श्रीमती बसन्ती पत्नी श्री कामता प्रसाद श्रीवास, निवासी ग्राम खण्डेह तहसील मौदहा ग्राम विकास अधिकारी , ग्राम पंचायत खण्डेह श्री आशीष कुमार निवासी कुछेछा तहसील हमीरपुर थाना हमीरपुर, श्री रामबाबू तकनीकी 'सहायक, ग्राम पंचायत, खण्डेह विकास खण्ड मौदहा एवं श्री लोकेन्द्र सिंह, कम्प्यूटर आपरेटर विकास खण्ड मौदहा ने मनरेगान्तर्गत कार्य कराने के लिये कूटरचित मस्टररोल की मांग कार्यक्रम अधिकारी विकास खण्ड मौदहा से मृतक व लोकपद पर सेवारत जाबकार्ड धारकों की सूची फर्जी ढंग से कूटरचित व स्व हस्ताक्षरित करके मिथ्या दस्तावेज स्वयं तैयार करके इलेक्ट्रानिक व भौतिक रूप से मनरेगा के शासकीय धन को मौके पर कार्य न कराकर दूसरे व्यक्तियों के नाम इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा विचलन करके अपने हित में आहरित कराकर भौतिक रूप से प्राप्त कर गबन कर लिये है। उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 06.08.2022 को समय 17.00 बजे पंजीकृत हुई।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि आवेदक ग्राम पंचायत खण्डेह विकास खण्ड मौदहा में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर दिनांक 28.09.2021 से कार्यरत है। कथित मस्टर रोल में आवेदक के कहीं हस्ताक्षर नहीं है तथा आवेदक की जानकारी में नहीं तैयार किये गये हैं। इसी प्रकार भुगतान प्रमाण पत्र व बाउचर्स में भी आवेदक के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा बिना आवेदक की जानकारी के भुगतान किया गया है। आवेदक पूर्णतया निर्दोष है। दिनांक 27.07.2022 को आवेदक से स्वलिखित बयान जाँच समिति को प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया था किन्तु आवेदक को कोई समय नहीं दिया गया और जाँच समिति ने अपनी आख्या प्रस्तुत कर दिया जो न्यायसंगत नहीं है। जाबकार्ड सं०-800 में देवेन्द्र सिंह पुत्र हरनाम की धनराशि का भुगतान आवेदक के कार्यकाल में नहीं हुआ है। आवेदक की नियुक्ति के पूर्व ही भुगतान होना पाया जाता है। आवेदक ने कोई फर्जी भुगतान नहीं किये फिर भी लोक सेवक होने के कारण कर्तव्य निभाते हुए गलत भुगतान हो गये थे उनमें कुछ धनराशि रूपया 55,080 वापस जमा बैंक ड्राफ्ट करवाने में सहयोग किया है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया तथा अग्रिम

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ एफ० आई० आर० की छायाप्रति , जिला पंचायतराज अधिकारी, हमीरपुर के आदेश की छायाप्रति, जाबकार्ड/जाब चार्ट की छायाप्रति, जाँच आख्या की छायाप्रति, नोटिस खण्ड विकास अधिकारी मौदहा, हमीरपुर, प्रमाण पत्र की छायाप्रति, मस्टर रोल की छायाप्रति, चेकों की छायाप्रतियाँ एवं आधार कार्ड की छायाप्रति क्रमशः कागज सं०-6 ख/1 लगायत 13 ख/2 प्रस्तुत किये हैं।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(फौज०) द्वारा अभियुक्त के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त के द्वारा सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फर्जी तरीके से मनरेगा के शासकीय धन का गबन किया गया है तथा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया ।

धारा 438 दं०प्र०सं० में इसका उल्लेख किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय निम्न बातों पर विचार किया जायेगा-

1. अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता।
2. आवेदक का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले ही कारावास भुगत चुका है।
3. न्याय से भागने की आवेदक की सम्भाव्यतः और
4. जहां आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो।

यह विधिक सिद्धांत है कि अग्रिम जमानत विशेष परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप स्वीकार की जा सकती है। प्रस्तुत मामले में अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त आशीष कुमार ग्राम विकास अधिकारी पर सहअभियुक्तगण ग्राम प्रधान एवं तकनीकी सहायक आदि के साथ मिलकर मनरेगा के तहत कार्य कराने के लिये मृतक व लोकपद पर सेवारत जाबकार्ड धारकों की सूची फर्जी ढंग से कूटरचित व स्वहस्ताक्षरित करके मिथ्या दस्तावेज तैयार करके मनरेगा के शासकीय धन को मौके पर कार्य न कराकर दूसरे व्यक्तियों के नाम आहरित कर गबन करने का आरोप है। अतः अपराध की गंभीरता एवं अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है तथा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त आशीष कुमार का यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक-02.11.2022

अपर सत्र न्यायाधीश ,
न्यायालय संख्या-1, हमीरपुर।